"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 408] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 24, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-12/2016/एक-7. — इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-09-2016 द्वारा जिला जांजगीर-चांपा में दिनांक 17-09-2016 को थाना मुलमुला में पुलिस अभिरक्षा में सतीश नोरंगे पिता राजाराम नोरंगे की मृत्यु की घटना की न्यायिक जांच हेतु माननीय श्री इंदरसिंह उबोवेजा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-12-2016, 16-03-2017 तथा दिनांक 16-06-2017 द्वारा आयोग के कार्यकाल में समयावृद्धि की गई है, जो दिनांक 18-09-2017 को समाप्त हो रही है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 19-09-2017 से दिनांक 18-12-2017 तक 03 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.